सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट : कुहाडा, **कैम्प दिनांक 27.06.2018**

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 16/2017 **दायर तारीख :– 17.04.2017**

1. श्योदान पुत्र घासीराम जाति गुर्जर निवासी बन्ध मुज्जफरपुर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर **<u>—— वादी</u>**

बनाम

1. रामपाल पुत्र घासीराम
2. बीरबल
3. श्रामनिवास
4. रामकिशन
5. रामजीलाल

(क्रम 2 से 5) पुत्रान धूणाराम

6. बरजी देवी पत्नी धूणाराम
7. तोफली देवी
8. धोली देवी

(क्रम 7 व 8) पुत्रियां धूणाराम

(क्रम 1 से 8) समस्त जाति गुर्जर निवासी बन्ध मुज्जफरपुर तहसील विराटनगर, जयपुर

9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
10. उप पंजीयक विराटनगर, जिला जयपुर।

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 27.06.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बन्ध मुज्जफरपुर के खाता संख्या 15 में दर्ज खसरा नम्बर 179/0.80, 180/0.08 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.88 हैक्टेयर की खातेदारी धूणाराम पुत्र घासी हिस्सा 1/3, श्योदान, रामपाल पुत्र घासी हिस्सा 2/3 तथा खाता संख्या 54 के आराजी खसरा नम्बर 199/422/0.39, 201/0.02, 202/0.35, 203/0.27 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर की खातेदारी

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

रामपाल, श्योदान, धूणाराम पुत्रान घासी, जडाव देवी पत्नी घासी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त रिकार्डेड खातेदारान में खातेदार धूणाराम के फौत होने से उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगा॰ 8 तथा जडाव देवी के फौत होने से उसके वारिसान वादी हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 हिस्सा 1/3 पक्षकार मुकदमा है। वादी आराजी मुतनाजा 179, 180 में हिस्सा 1/3 तथा खसरा नम्बर 199/422, 201, 202, 203 में हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उक्त आराजी में सिंचाई हेतु खसरा नम्बर 201 में मय विद्युत कनेक्शन चाह बना रखा है, जो अलमशहूर पटवारी वाला है। वादी के हिस्से में खसरा नम्बर 180 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 179 में पूर्व तरफ 1/3 भाग तथा खसरा नम्बर 202 में हिस्सा 213 भाग पर रकबा0.6366 पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 अविवाहित नावल्द होने से उसके हिस्से की 1/2 भाग को वादी काश्त करता आया है। प्रतिवादीगण पूर्व में हुए बाहमी बंटवारा नरस–सरस पर किया गया था को मानने से इन्कार करते हैं तथा वादी के हिस्से में आयी भूमि को हडपना चाहते है, जिससे शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम बंध मुज्जफरपुर के खाता संख्या 15 के आराजी खसरा नम्बर 179/0.80, 180/0.08 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 54 के आराजी खसरा नम्बर 199/422/0.39, 201/0.02, 202/0.35, 203/0.27 हैक्टेयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि खसरा नम्बर 201 में बने चाह से 1/3 हिस्सा के अनुसार सिंचाई व उपयोग–उपभोग वादी को करने देवें तथा बंटवारे में प्राप्त वादी की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें, वादी को अपनी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। तारीख पेशी दिनांक 13.04.2017 को प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैराकार सरकार उपस्थित।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 15, 54 संवत् 2070–2073 आदि पेश किये।

4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट कुहाडा में पेश हुई। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। उपस्थित पक्षकारान का निवेदन रहा कि प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित है, अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार राजस्व मण्डल के नियमानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

   उभय पक्षकारान के निवेदन पर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार विराटनगर को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।

5. तहसीलदार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत मौका, कब्जा एवं रिकार्ड के अनुरूप कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04.07.2017 प्राप्त की गई।

6. पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट कुहाडा में पेश हुई। पक्षकारान की राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु समझाईश की गई। उपस्थित पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश कर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव, कानूनी बंटवारा किये जाने पर सहमति दी।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2070–2073 वाके ग्राम बन्ध मुज्जफरपुर के खाता संख्या 15 में दर्ज खसरा नम्बर 179/0.80, 180/0.08 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.88 हैक्टेयर की खातेदारी धूणाराम पुत्र घासी हिस्सा 1/3, श्योदान, रामपाल पुत्र घासी हिस्सा 2/3 तथा खाता संख्या 54 के आराजी खसरा नम्बर 199/422/0.39, 201/0.02, 202/0.35, 203/0.27 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर की खातेदारी रामपाल, श्योदान, धूणाराम पुत्रान घासी, जडाव देवी पत्नी घासी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त रिकार्डेड खातेदारान में खातेदार धूणाराम के फौत होने से उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगा॰ 8 तथा जडाव देवी के फौत होने से उसके वारिसान वादी हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 हिस्सा 1/3 पक्षकार मुकदमा है। वादी आराजी मुतनाजा 179, 180 में हिस्सा 1/3 तथा खसरा नम्बर 199/422, 201, 202, 203 में हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर रखा है। वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित रहा है तथा आराजी के

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

खातेदारान को कानूनी बंटवारा कराने का हक अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 राजस्व लोक अदालत तारीख पेशी 27.06.2018 को व्यक्तिशः उपस्थित हुए हैं तथा राजीनामा पेश करते हुए न्यायालय आदेशिका पर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार कानूनी बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान की है। तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुरूप मौका, कब्जा एवं रिकार्ड के अनुसार है। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति स्वरूप पक्षकारान ने हस्ताक्षर किये है। वादी ने अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. परिणामतः वादीगण वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/ रकबा (हैक्टे॰)
1	बरजी देवी पत्नी धूणाराम, बीरबल, रामनिवास, रामकिशन, रामजीलाल पुत्र धूणाराम, तोफली देवी, धोली देवी पुत्रीयान धूणाराम	179/0.50, 180/0.08 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.58 हैक्टेयर
2	श्योदान पुत्र घासी	179/1/0.29 हैक्टेयर
3	बरजी देवी पत्नी धूणाराम, बीरबल, रामनिवास, रामकिशन, रामजीलाल पुत्र धूणाराम, तोफली देवी, धोली देवी पुत्रीयान धूणाराम हिस्सा 2/3, श्योदान पुत्र घासी हिस्सा 1/3	179/2/0.01 हैक्टेयर
4	बरजी देवी पत्नी धूणाराम, बीरबल, रामनिवास, रामकिशन, रामजीलाल पुत्र धूणाराम, तोफली देवी, धोली देवी पुत्रीयान धूणाराम हिस्सा 7/8, छाजी देवी पुत्री घासी हिस्सा 1/8	202 मी./0.1350, 203/0.27, 199/422 मी./0.2450 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर
5	श्योदान पुत्र घासी हिस्सा 7/8, छाजी देवी पुत्री घासी हिस्सा 1/8	202 मी./0.21, 199/422/1/0.1150 हैक्टे॰

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6	बरजी देवी पत्नी धूणाराम, बीरबल, रामनिवास, रामकिशन, रामजीलाल पुत्र धूणाराम, तोफली देवी, धोली देवी पुत्रीयान धूणाराम हिस्सा 1/2, श्योदान पुत्र घासी हिस्सा 1/4, छाजी देवी पुत्री घासी हिस्सा 1/4	201/0.02, 202/1/0.005, 199/422/2/0.03 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.0550 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले हिस्सा एवं खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट कुहाडा दिनांक 27.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार—2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कुहाडा

बइजलास :— मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. श्योदान पुत्र घासीराम जाति गुर्जर निवासी बन्ध मुज्जफरपुर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर **—— वादी**

बनाम

1. रामपाल पुत्र घासीराम
2. बीरबल
3. श्रामनिवास
4. रामकिशन
5. रामजीलाल

(2 से 5) पुत्रान धूणाराम

6. बरजी देवी पत्नी धूणाराम
7. तोफली देवी
8. धोली देवी

(7 व 8) पुत्रियां धूणाराम

(1 से 8) समस्त जाति गुर्जर निवासी बन्ध मुज्जफरपुर तहसील विराटनगर, जयपुर

9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
10. उप पंजीयक विराटनगर, जिला जयपुर।

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 16/2017 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री घनश्याम गुर्जर एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **व्यक्तिशः प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 एवं पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम बंध मुज्जफरपुर के खाता संख्या 15 के आराजी खसरा नम्बर 179/0.80, 180/0.08 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 54 के आराजी खसरा नम्बर 199/422/0.39, 201/0.02, 202/0.35, 203/0.27 हैक्टेयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि खसरा नम्बर 201 में बने चाह से 1/3 हिस्सा के अनुसार सिंचाई व उपयोग—उपभोग वादी को करने देवें तथा बंटवारे में प्राप्त वादी की भूमि

से जबरन बेदखल नहीं करें, वादी को अपनी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें।

सुना गया। वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है, जिसके संबंध में तहसीलदार विराटनगर से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधनों अनुसार बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उभय पक्ष मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/ रकबा (हैक्टे.)
1	बरजी देवी पत्नी धूणाराम, बीरबल, रामनिवास, रामकिशन, रामजीलाल पुत्र धूणाराम, तोफली देवी, धोली देवी पुत्रीयान धूणाराम	179/0.50, 180/0.08 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.58 हैक्टेयर
2	श्योदान पुत्र घासी	179/1/0.29 हैक्टेयर
3	बरजी देवी पत्नी धूणाराम, बीरबल, रामनिवास, रामकिशन, रामजीलाल पुत्र धूणाराम, तोफली देवी, धोली देवी पुत्रीयान धूणाराम हिस्सा 2/3, श्योदान पुत्र घासी हिस्सा 1/3	179/2/0.01 हैक्टेयर
4	बरजी देवी पत्नी धूणाराम, बीरबल, रामनिवास, रामकिशन, रामजीलाल पुत्र धूणाराम, तोफली देवी, धोली देवी पुत्रीयान धूणाराम हिस्सा 7/8, छाजी देवी पुत्री घासी हिस्सा 1/8	202 मी./0.1350, 203/0.27, 199/422 मी./0.2450 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर
5	श्योदान पुत्र घासी हिस्सा 7/8, छाजी देवी पुत्री घासी हिस्सा 1/8	202 मी./0.21, 199/422/1/0.1150 हैक्टे.
6	बरजी देवी पत्नी धूणाराम, बीरबल, रामनिवास, रामकिशन, रामजीलाल पुत्र धूणाराम, तोफली देवी, धोली देवी पुत्रीयान धूणाराम हिस्सा 1/2, श्योदान पुत्र घासी हिस्सा 1/4, छाजी देवी पुत्री घासी हिस्सा 1/4	201/0.02, 202/1/0.005, 199/422/2/0.03 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.0550 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले हिस्सा एवं खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट कुहाडा दिनांक 27.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 27.06.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर